फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–22602

संख्या:अठ्ठारह–233–2020(एसआई–लिपिक)–2020 दिनांक:लखनऊ:दिसम्बर 30,2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	6	7	8
1	880650047	अजय कुमार शुक्ला	श्री दयाशंकर शुक्ला	04-01-1970	एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ	2020
2	881021314	सुधा त्रिपाठी	ब्रज मोहन मिश्रा	10-03-1961	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
3	882761600	शैल कुमारी यादव	विजय बहादुर यादव	01-01-1970	उ0प्र0पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2020
4	880820271	विजय कुमार यादव	मैकू लाल	12-11-1963	सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ	2020
5	880820301	जलाल अहमद	अख्तर हुसैन	10-08-1964	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेऊ लखनऊ	2020
6	880820343	ओम प्रकाश यादव	हनुमान प्रसाद यादव	01-01-1962	जनपद खीरी	2020
7	880820369	राम प्रकाश	चेतराम	12-11-1965	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2020
8	890020036	विवेक कुमार	राम सेवक दोहरे	10-07-1961	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
9	890020049	करन सिंह	सूरजभान	03-09-1961	कार्यालय चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बॉदा	2020
10	890330049	विश्वनाथ दास	बल्लू राम	20-09-1962	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
11	890330010	सुरेश चन्द्र	राम किशोर	01-08-1965	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
12	890020052	राजू	इतवारी लाल	15-08-1963	परिक्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ	2020

क0सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
13	890020023	रहीश राम	सियाराम	01-01-1964	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
14	890330036	संतोष कुमार	बहोरन लाल	02-08-1963	पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पीएसी सेक्टर लखनऊ	2020
15	892413142	राकेश बाबू	पुत्तु लाल	01-02-1963	उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ	2020
16	891100025	बाबू लाल	चन्द्रिका प्रसाद	05-07-1964	उ0प्र0पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2020
17	892110375	महेन्द्र पाल सिंह	स्व0 मितान प्रसाद	01-07-1965	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2020
18	892690150	हीरालाल	राम स्वरूप	01-03-1963	उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ	2020
19	892290653	नेत्रपाल सिंह	याम सिंह	11-07-1965	जनपद हाथरस	2020
20	882610508	दिनेश कुमार श्रीवास्तव	जीत बहादुर लाल श्रीवास्तव	19-12-1963	पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) कार्यालय अयोध्या	2020
21	882492203	राजेश कुमार	बाबू लाल	15-12-1963	मण्डलाधिकारी कार्यालय आगरा	2020
22	892760671	रणजीत सिंह	जगदेव सिंह	01-07-1967	जनपद सोनभद्र	2020
23	892810637	सविता सचान	इन्द्र कुमार सचान	06-10-19962	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2020
24	890820304	त्रिशूल कुमार सिंह	राम बहादुर सिंह	17-03-1966	अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ	2020

2— पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित 2020 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नक</u>: प्रारूप (क)

30/11/2020

(डॉ0 राकेश शंकर)
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक/स्थापना)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा विभाग/अभिसूचना मुख्यालय/पीएसी,उ0प्र0 लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 उ0प्र0 लखनऊ।
5– पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0 ,उ0प्र0 लखनऊ।
6– परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ /चित्रकूटधाम /अलीगढ।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, खीरी/हाथरस/सोनभद्र।
8– पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय अयोध्या।

प्रतिलिपि: 1–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रारूप–"क"
स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) ——————निवासी——————————थाना——————जनपद—————————पुत्र का नाम)————————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:– वर्तमान में (जनपद/इकाई

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनाँक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनाँक तथा कारण ————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई—————— में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनाँक:—————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0—————— धारा——————थाना —————— जनपद——————में लम्बित है, जिसमें दिनाँक:——————को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी——————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनाँक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।

फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–22602

संख्याःअठ्ठारह–233–2020(एसआई–लिपिक)–2020 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 30,2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी–प्रो–चार–10(10)–2020 दिनांक 24.12.2020 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–5 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में 01 मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक उसके सापेक्ष रिक्त रखे गये कुल–01 पद के सापेक्ष काम चलाऊ प्राबन्ध के रूप में तैनाती के सीमित उद्देश्य से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन समिति द्वारा स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु चयनित किये जाने एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक (लिपिक) के पद पर अस्थाई रूप से स्थानापन्न पदोन्नति अग्रिम आदेश तक के लिये प्रदान की जाती है। यह काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहर बन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगा। इन कार्मियों के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क0सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	892420157	नौशाद अहमद	स्व0 तौकीर अहमद	20-01-1970	जनपद फतेहपुर	स्थानापन्न 2020

2– उक्त पदोन्नति काम चलाऊ प्रबन्ध आगामी चयन अथवा मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तरण तक, जो भी पहले हो, तक के लिये ही होगी।

3– मुहरबन्द लिफाफे के अन्तिम निस्तारण की दशा में उपरोक्त स्थानापन्न पदोन्नति पाये कर्मी को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

4– स्थानापन्न अस्थाई पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

30/10/2020

(डॉ0 राकेश शंकर)
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक/स्थापना)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन।
3– पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र
4– पुलिस अधीक्षक फतेहपुर।

फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–22602

संख्याःअठ्ठारह–233–2020(एसआई–लिपिक)–2020 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 30 ,2020

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015(समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ,ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा उपनिरीक्षक(लिपिक) को निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1–1997, दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2(क),(ख),(ग)में अंकित परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क0सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	मुहर बन्द लिफाफे का चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	880820314	किशन स्वरूप	चतर सिंह	16-07-1963	पुलिस अधीक्षक(क्षेत्रीय) कार्यालय मेरठ	2020

2– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

30/XII/2020

(डॉ0 राकेश शंकर)
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक / स्थापना)
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,जनपद मेरठ।
4– पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।